न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात

प्रकीर्ण वाद सं० 116/2026

UPRN180014842026

सियावती बनाम संजय आदि

थाना सजेती जनपद कानपुर नगर

दिनांक – 15/07/2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर प्रार्थिनी मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित।

प्रार्थिनी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि दिनांक 10/06/2026 को समय लगभग रात्रि 8 बजे अपनी दो नाबालिग पुत्रियों के साथ दुकान पर बैठी हुयी थी तभी गांव का ही विपक्षी संख्या 1 संजय पुत्र शिवसागर जो कि निहायत ही दबंग व शराबी प्रवृत्ति का है प्रार्थिनी की दुकान आकर प्रार्थिनी को बिना किसी कारण के मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देने लगा। प्रार्थिनी ने उक्त संजय को गालियां देने से मना किया तो विपक्षी सं० 1 प्रार्थिनी की दुकान के अंदर घुसकर प्रार्थिनी को बुरी तरह मारने पीटने लगा प्रार्थिनी के बचाव–बचाव शोर मचाने पर प्रार्थिनी की दोनो नाबालिग पुत्रियां बचाने को दौडी तो विपक्षी संख्या 1 ने अपने साथी विपक्षी सं0 2 व 3 शैलेन्द्र व रजनेश पुत्रगण स्व० रामस्वरूप को बुला लिया सभी एक राय होकर प्रार्थिनी को मारने पीटने लगे व गाली गलौज करने लगे और प्रार्थिनी की पुत्रियों को गलत नियत से दबोज लिया व छेडछाड करने लगे एवं बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उक्त विपक्षीगण 1,2,3 के द्वारा प्रार्थिनी/वादिनी के साथ मारपीट में प्रार्थिनी के कान के सोने के बाला व गले में पहना हुआ मंगलसूत्र छीन कर अपने साथ ले गये। विपक्षीगण 2 व 3 ने प्रार्थिनी को धमकी दी थी जहां तेरी दुकान है इस पर आज नही तो कल हम दुकान में कब्जा कर लेंगे और तुम लोग हमारा कुछ नही कर पाओगे और उक्त विपक्षीगण जाते जाते कहीं शिकायत करने पर आज तो बच गयी अगली बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे की धमकी देकर चले गये। विपक्षी संख्या 2 शैलेन्द्र अपनी दुकान में अवैध तरीके से शराब की बिकी करता रहता है और अपनी दुकान में दबंग लोगो को बैठाकर शराब पिलाता है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थिनी के साथ मार पीट से प्रार्थिनी के बायें हाथ में फैक्चर हो गया और अन्दरूनी एवं बाहरी चोटे भी आयी तत्श्चात प्रार्थिनी ने उक्त घटना की सूचना 112 नम्बर डायल कर पुलिस को दी जिस पर मौके पर पुलिस के पहुंचने पर उक्त विपक्षीगण मौके से भाग चुके थे। प्रार्थिनी ने उसी दिन दिनांक 10.06.2026 को ही थाना सजेती में एक लिखित शिकायती प्रार्थनापत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही न होने के कारण प्रार्थिनी ने दिनांक 16.06.2026 को ए०सी०पी० महोदय घाटमपुर व दिनांक 30.06.026 को पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर को जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना दी परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न हाने से विपक्षीगण के हौसले और बुलन्द हो गये है।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार थाना हाजा अभिलेखानुसार कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2026.07.15 16:34:46 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge J.D. J.M. Ghatamapur Kanpur Dehat

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रार्थिनी को अभियोग की सम्पूर्ण जानकारी है। न्यायालय के मत में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में सम्यक अवलोकन करने के पश्चात पाया गया कि चूंकि प्रार्थिनी को घटना से सम्बंधित समस्त तथ्य ज्ञात है तथा वह न्यायालय में बेहतर ढंग से अपना साक्ष्य अभियोग के समर्थन में प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में मामले की विवेचना पुलिस अधिकारी द्वारा कराये जाने का कोई न्यायसंगत औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था "सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2007(59) ए.सी.सी. पृष्ठ सं. 739"** एवं **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था "मोना पंवार बनाम उच्च न्यायालय इलाहाबाद Criminal Appeal No.– 298/2011"** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 156(3) द०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र को सुसंगत प्रकरणों में परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है। अतएव प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली दिनांक 17/08/2026 को वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस० एस० पेश हो।

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562